


सं० डिस/लेखा (द्वितीय) 2017-2018
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद
वन अनुसंधान संस्थान, डाकघर: न्यूफौरेस्ट, देहरादून

दिनांक 20.06.2017

ज्ञापन


सभी प्रभाग प्रमुखों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई, 2017 से **G.S.T** लागू किया जा रहा है आपके प्रभाग में जो ठेकेदार ठेके का कार्य कर रहे हैं या जिन संस्थानों से सामान खरीदा जाता है उनका **G.S.T** का पंजीकरण नम्बर होना चाहिए। अतः जुलाई, 2017 से जिन ठेकेदारों के पास **G.S.T** का पंजीकरण नहीं होगा उन्हें कोई ठेका आदि न दिया जाय, और न ही उन संस्थानों से सामान खरीदा जाए, बिना **G.S.T** नम्बर के उनके बिलों पर विचार नहीं किया जायेगा।

यह आदेश निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून, महोदया की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है।


समूह समन्वयक
वन अनुसंधान संस्थान
देहरादून

प्रतिलिपि :-

1. सभी प्रभाग प्रमुख ।
2. कुल सचिव, वन अनुसंधान संस्थान ।
3. मुख्य पुस्तकालय अधिक्षक राष्ट्रीय वन पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र ।
4. प्रचार एवं सम्पर्क अधिकारी ।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, न्यूफौरेस्ट चिकित्सालय ।
6. प्रचार एवं सम्पर्क अधिकारी ।
7. पहरा एवं निगरानी अधिकारी ।
8. क्रय अधिकारी, क्रय अनुभाग ।
9. भंडार अधिकारी ।
10. मुख्य सेवा शाखा ।
11. अनुभाग अधिकारी (परियोजना)


समूह समन्वयक
वन अनुसंधान संस्थान